कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश,
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 391 /सी/प्राधि. दिनांक 8 फरवरी, 2018

आदेश

उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–122 के अन्तर्गत प्रख्यापित उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समितियों में सचिवों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत प्रतिवेदित किया गया हैः

क.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1	विशेष सचिव	73	09	64
2	सचिव प्रथम ग्रेड	42	04	38
4	योग	115	13	102

उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 में स्वीकृत सचिव के पदों पर तैनाती हेतु 115 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष मात्र 13 कार्मिक ही कार्यरत हैं। वर्तमान समय में कार्मिकों के सेवानिवृत हो जाने एवं नई नियुक्तियों पर वर्ष 1991 से प्रतिबन्ध होने के कारण के उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत सभी पदों पर सचिवों की तैनाती न होने के कारण, राजकीय वेतन भोगी गन्ना विकास निरीक्षकों को सचिव के पद पर तैनात किया जा रहा है, किन्तु इनकी तैनाती के समय उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम, 124, 125 एवं 126 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन न होने से निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने वाले कार्मिकों की सचिव के पद पर तैनाती के फलस्वरूप समितियों में वित्तीय अनियमितता/व्यपहरण के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं और समितियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।

उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–121/122 के अन्तर्गत प्रख्यापित उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 एवं उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 126(1) में समितियों में सचिव पद पर तैनाती हेतु प्रतिनियक्ति पर, निःशुल्क अथवा अंशदान के आधार पर प्राप्त किये जाने के प्रावधान वर्णित हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थिति ऐसी सहकारी गन्ना समितियां जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, में विशेष सचिव अथवा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर गन्ना विकास निरीक्षकों को सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने एवं ऐसी सहकारी गन्ना समितियां जिनकी आर्थिक स्थिति प्रतिनियुक्ति पर सचिवों की तैनाती से आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु सक्षम नहीं हैं, में उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–126(1) के अन्तर्गत सचिव पद पर गन्ना विकास निरीक्षकों की सेवाएं वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर निःशुल्क प्राप्त किये जाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं तद्विषयक नियमावली, 1968 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समितियों में सचिव पद पर राजकीय वेतन भोगी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त गन्ना आयुक्त समिति के माध्यम से किया जायेगा तथा निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां,उ.प्र. के

अनुमोदन उपरान्त उपयुक्त कार्मिक की तैनाती समिति सचिव पद पर निम्नानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी:

1. 60 लाख कु. से अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाली गन्ना समितियों में गन्ना समिति वेतन भोगी विशेष सचिव अथवा विशेष सचिव उपलब्ध न होने की दशा में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अथवा कम से कम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले गन्ना विकास निरीक्षक की वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जाय।
2. 25 लाख से अधिक एवं 60 लाख कु. तक गन्ना आपूर्ति करने वाली गन्ना समितियों में गन्ना समिति वेतन भोगी सचिव प्रथम ग्रेड अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में कम से कम 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले गन्ना विकास निरीक्षकों एवं 25 लाख कु. तक गन्ना आपूर्ति करने वाली गन्ना समितियां में कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले वरिष्ठ एवं उपयुक्त गन्ना विकास निरीक्षकों की उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–126 के प्रावधानों के अन्तर्गत सचिव पद पर तैनाती हेतु निःशुल्क सेवाएं प्राप्त की जांय।

गन्ना समितियों में सचिवों की तैनाती हेतु प्रकिया एवं उपबन्ध

I. उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 126 के प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा निः शुल्क सेवाएं प्राप्त करने हेतु निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां,उ.प्र. द्वारा गन्ना आयुक्त, उ.प्र. से अनुरोध किया जायेगा।

II. गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा गन्ना समितियों में सचिव पद पर तैनाती हेतु प्रतिनियुक्ति अथवा निःशुल्क सेवाएं देने हेतु उपलब्ध कराये गये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में योगदान करेंगे, जिनकी सहकारी गन्ना विकास समितियों में तैनाती अध्यक्ष राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

III. प्रतिनियुक्ति अथवा निः शुल्क सेवाओं की अवधि तीन वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवाओं की कार्यावधि में कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि को अधिकतम दो वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

IV. कार्मिक की प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवाओं के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र एवं प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि को विस्तारित करने की स्वीकृति निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उ.प्र. द्वारा दी जायेगी।

V. पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि नहीं बढ़ेगी।

VI. प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा हेतु निर्धारित तीन वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के तीन माह पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को समिति के समस्त कार्य अद्यावधिक पूर्ण करने होंगे तथा संतोषजनक सेवा के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा विस्तार हो जाने की स्थिति में विस्तारित सेवा अवधि पूर्ण होने के तीन माह पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को समिति के समस्त कार्य अद्याावधिक पूर्ण करने होंगे।

VII. तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि के उपरान्त आगामी दो वर्ष हेतु विस्तारित की गयी प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि के मध्य यदि उ.प्र.

सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों के उपलब्ध होने की स्थिति में विस्तारित सेवा अवधि को तत्समय ही समाप्त मानते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को उनके मूल विभाग हेतु वापस कर दिया जायेगा।

VIII. प्रतिनियुक्ति अथवा निःशुल्क सेवा अवधि की समाप्ति की तिथि को कार्मिक स्वतः कार्यमुक्त (Deemed relieve) हो जायेगा।

उदाहरणार्थ– यदि X कार्मिक दिनांक 10.01.2018 को प्रतिनियुक्ति/ निःशुल्क सेवा में कार्यभार ग्रहण करता है, तो प्रतिनियुक्ति/निःशुल्क सेवा अवधि समाप्त होने की तिथि दिनांक 09.01.2021 को वह स्वतः कार्यमुक्त (Deemed relieve) हो जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारी गन्ना समितियां,उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 391 /सी/प्राधि. तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त गन्ना आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
3. संयुक्त गन्ना आयुक्त समिति, मुख्यालय।
4. सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
6. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
7. समस्त जिला गन्ना अधिकारी,उ.प्र.।
8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, स्थापन खण्ड, मुख्यालय।

9/2/18
(डा.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियां)
उत्तर प्रदेश।